उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-06/2018/77/38-6-18-5(एसआरएलएम)/2017टीसी

लखनऊ दिनांक-28 फरवरी, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सामान्य मद अनुदान सं0-13 में अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष स्वीकृत मैचिंग राज्यांश के शासनादेश सं0-3/2018/70/38-6-18-05(एसआरएलएम)/2017, दि0-30.01.2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु-(1) में उल्लिखित शर्त कि "स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी.एल.ए./बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा" को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर "स्वीकृत की जा रही धनराशि यूपीएनआरएलएम की नियमावली/भारत सरकार की शर्तों के अनुसार रक्षित की जायेगी तथा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ब्याज की धनराशि विनियमित की जायेगी" पढा जाए।

2- यह आदेश वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा पत्र सं0-यू.ओ.ई-2-225/ दस-18, दि0-28.02.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

3- उक्त शासनादेश दि0-30.01.2018 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-06/2018/77(1)/38-6-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
5- निदेशक, कोषागार/मुख कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभग-3/नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in